रजिस्ट्री सं० डी०(डी)—73 REGISTERED NO D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22, 1975 (अग्रहायण 1, 1897)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22, 1975 (Agrahayana 1, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 अक्तूबर 1975 तक प्रकाशित किए गए हैं—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th October 1975:—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
203	सं० 106-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 9 अक्तूबर, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	वार्षिक आधार पर 1975-76 के दौरान ओमन (मस्कत) से खजूरों [क्रम सं० 21 (बी)/4] का आयात।
203	No. 106-ITC(PN)/75, dated the 9th October, 1975.	Ministry of Commerce.	Import of Dates [S. No. 21 (b)/IV] from Oman (Muscat) during 1975-76 on annual basis.
	सं० 107-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 9 अक्तूबर, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	वार्षिक आधार पर 1975-76 लाइसेंस अवधि के दौरान ईराक से खजूरों [क्रम सं० 21(बी) 4] को आयात।
	No. 107-ITC (PN)/75, dated the 9th October, 1975.	Ministry of Commerce.	Import of Dates [S. No. 21 (b)/IV] from Iraq during 1975-76 licensing period on annual basis.
204	सं० 108-आई० टी० सी० (पी० एन०/75, दिनांक 9 अक्तूबर, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	पंचांग वर्ष 1974 या वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान चुनिन्दा और अन्य उद्योगों द्वारा निर्यात प्रयत्न के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करना।
204	No. 108-ITC(PN)/75 dated the 9th October, 1975.	Ministry of Commerce	Export effort by select and other industries during the calender year 1974 or the financial year 1974-1975 production of evidence regarding

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाईन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियंत्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

अंक	संख्या और तिथि	द्वारा जारी किया गया	विषय
Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
205	सं० 44-ई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 15 अक्तूबर, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	सीमित रुपया-भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत यूगोस्लाविया के लिए निर्यातों के सम्बन्ध में में जानकारी/क्रियाविधि ।
205	No. 44-ETC (PN)/75, dated the 15th October, 1975.	Ministry of Commerce.	Information/Procedure regarding Exports to Yugoslavia under Limited Rupee Payment—Arrangement.
206	सं० 109-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 17 अक्तूबर, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	अखबारी कागज का आयात ।
206	No. 109-ITC (PN)/75, dated the 17th October, 1975.	Ministry of Commerce.	Import of Newsprint.
207	सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-76/75, दिनांक 20 अक्तूबर, 1975	वित्त मंत्रालय	सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन ।
207	No. Drawback/PN-76/75, dated the 20th October, 1975.	Ministry of Finance.	Amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 1st October, 1971.
	सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 77/75, दिनांक 20 अक्तूबर, 1975	तदैव	सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1 दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन ।
	No. Drawback/PN-77/75, dated the 20th October, 1975.	Do	Amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October, 1971.
208	सं० 45-ई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 23 अक्तूबर, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	बन्दरों के निर्यात के लिय आवेदन प्रपत्र ।
208	No. 45-ETC (PN)/ 75, dated the 23rd October, 1975.	Ministry of Commerce.	Application form for export of Monkeys.

विषय-सूची

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . पृष्ठ 807

भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1803

भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशो और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 141

भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1527

भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . —

भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . . —

भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . 3201

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयो और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनो को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . 4017

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . 497

भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 9829

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 779

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तो द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं —

भाग III—खंड 4—विधिक निकायो द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल है . . . 1987

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियो और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 205

CONTENTS

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. PAGE 807

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1803

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence 141

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 1527

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. PAGE 3201

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 4017

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 497

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Officers of the Government of India .. 9829

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. 779

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners. .. .. —

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1987

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. 205

भाग I—खंड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक, 10 नवम्बर, 1975

सं० 110-प्रेज/75—पच्चीसवीं स्वतंत्रता जयन्ती मैडल पुरस्कार स्थापित किये जाने से सम्बन्धित इस सचिवालय की 17 जनवरी, 1973 की अधिसूचना संख्या 4-प्रेज/73 की चौथी धारा के उप-पैरा (II) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में राष्ट्रपति ने निर्णय किया है कि निम्नलिखित दलों/संगठनों के आवर्ती कार्मिकों को भी यह मैडल प्रदान किया जाएगा :

1. अग्नि शमन सेवाएं ।
2. जेल कर्मचारी
3. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कार्मिक
4. आसूचना ब्यूरो के तकनीकी कर्मचारी
5. कलकत्ता विशेष पुलिस दल
6. सुरक्षा महानिदेशालय के अधीनस्थ, एस० एस० बी० ए० आर० सी०, एस० एस० एफ०

सं० 111 प्रेज/75—राष्ट्रपति भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री शशि धरन, पिल्ले,
हैड कांस्टेबल सं० 60102022,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ।

श्री खजान सिंह,
जमादार,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

19 जनवरी, 1975 को हिमाचल प्रदेश के बर्फ से घिरे किन्नौर और स्पीती जिलों में अनेक स्थानों पर भूकम्प के बड़े भीषण झटके आये । हैड कांस्टेबल (आपरेटर) श्री शशि धरन पिल्ले भूकम्प के समय समदोह (हिमाचल प्रदेश) में वायरलैस आपरेटर के रूप में काम कर रहे थे । उस समय उन्होंने देखा कि चौकियों के बंकर धंस गए हैं और भारी चट्टानें तथा शिलाखण्ड ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगे हैं । सभी वायरलैस सैट और उपकरण मलबे के नीचे दब गए और बाहर के साथ संपर्क की कोई संभावना नहीं रही । जबकि भूकम्प के झटके और भूस्खलन जारी था उस समय श्री पिल्ले अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अन्धकारी हिमपात में बाहर खुले में आ गए और काफी देर तक तलाश करने के बाद मलबे में से उन्होंने एक वायरलैस सैट, एक बैटरी और कुछ अन्य उपकरण ढूंढ निकाले । कई घंटे तक जमाव बिन्दु से भी कम तापमान में काम करने के बाद वे शाम के 6.30 बजे भूकम्प के बारे में प्रथम समाचार भेज सके । उन्होंने सारी रात खुले में कार्य करते हुए भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रों से सम्पर्क बनाए रखा ।

भूकम्प के बारे में सूचना प्राप्त होने पर रेकोंग पिओ में स्थित बटालियन मुख्यालय से भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर्मचारियों के एक बचाव दल ने राशन, औषधियों और अन्य आवश्यक राहत साधनों के साथ प्रातः चार बजे समदोह के लिए प्रस्थान किया । रास्ते में अनेक स्थानों पर राहत कार्य करने के बाद बचाव दल 21 जनवरी, 1975 को दोपहर बाद 3.30 बजे समदोह पहुंचा । वापस लौटते समय, बटालियन कमांडेंट लैफ्टिनेंट कर्नल पी० एस० ग्रेवाल एक भूस्खलन को पार करते हुए फिसल गए और जब वे नीचे नदी में गिरने ही वाले थे तो उसी समय जमादार श्री खजान सिंह बड़ी सूझबूझ के साथ और अपनी जान को भारी जोखिम में डाल नीचे एक अवरूढ़ शिलाखण्ड पर कूद पड़े और भारी खतरनाक स्थिति में एक चट्टान का आश्रय लेकर कमांडेंट का हाथ पकड़ लिया । फिर बचाव दल के अन्य सदस्य लैफ्टिनेंट कर्नल ग्रेवाल और जमादार खजान सिंह को सुरक्षित स्थान पर वापिस लाने में सफल हो गये ।

श्री शशि धरन पिल्ले और श्री खजान सिंह दोनों ने अत्यन्त कठिन स्थिति और अपनी जान को भारी जोखिम में डालकर उत्कृष्ट वीरता और असाधारण साहस, तत्परता और कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक, 21 जनवरी, 1975 से दिया जाएगा ।

कृ० बालचन्द्रन्
राष्ट्रपति के सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 1975

सं० 11/6/75-सी० एस–II—मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा 1976 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं :—

(1) भारतीय विदेश (ख) ग्रेड 6;

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा-ग्रेड 2;

(3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अवर श्रेणी ग्रेड;

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा अवर श्रेणी ग्रेड;

(5) संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली में श्रेणी लिपिक के पद;

(6) विशेष महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, दिल्ली के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद;

(7) केन्द्रीय सतर्कता आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद; तथा

(8) उपर्युक्त सेवाओं के अन्तर्गत न आने वाले भारत सरकार के अन्य विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के पद ।

कोई उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी भी एक या एक से अधिक सेवाओं/ पदों के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह चाहे तो उसे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की आरक्षित सूची में शामिल करने के लिए भी विचार किया जा सकता है । वह जितनी भी सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहे उन सबका उल्लेख आवेदन-पत्र में करे ।

नोट:— उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहते हैं, उनका प्राथमिकता क्रम स्पष्टतः लिखें । उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं/पदों के प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन करने की किसी भी ऐसी प्रार्थना पर, जो सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कंध) के कार्यालय में दिनांक 31 दिसम्बर 1976 को या उस से पहले मिल जाए, विचार नहीं किया जाएगा ।

2. परीक्षा के परिणाम पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या संस्थान द्वारा जारी की गई सूचना में निर्दिष्ट की जाएगी । भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किया जाएगा ।

भूतपूर्व सैनिक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो संघ की सशस्त्र सेना में किसी पद पर (चाहे लड़ाकू के रूप में रहा हो अथवा नहीं) निरन्तर 6 मास की अवधि तक रहा हो और दुराचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त किए जाने को छोड़कर अन्य किसी कारण से नौकरी से मुक्त कर दिया गया है ।

स्पष्टीकरण:—इन नियमों के लिए "संघ की सशस्त्र सेना" में भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनाएं शामिल होंगी परन्तु निम्न सेनाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं :—

(क) आसाम राइफल्स ;

(ख) लोक सहायक सेना;

(ग) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ;

(घ) जम्मू तथा कश्मीर मलेशिया

(ङ) सैनिक सुरक्षा दल; तथा

(च) प्रादेशिक सेना ।

अनुसूचित जाति/ आदिम जाति का अर्थ उस किसी भी जाति/ आदिम जाति से है जिसका उल्लेख बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, अनुसूचित जाति/आदिम जाति संशोधन आदेश 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959 संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन व दीव) आदिम जाति आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन व दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, तथा संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 के साथ पठित अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 में हैं ।

3. सचिवालय प्रशिक्षण प्रबन्ध संस्थान द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट I में निहित विधि से किया जाएगा ।

परीक्षा की तारीखें और स्थान संस्थान द्वारा निर्धारित किये जाएंगे ।

4. यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 2 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(च) ऐसा मूल भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बंगला देश, बर्मा, श्रीलंका, तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों

केन्या, उगाण्डा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तांगानिका व जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो परन्तु ऊपर की श्रेणी (ग), (घ), (ङ) और (च) से संबंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

परन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(1) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और तभी से आमतौर पर भारत में ही रह रहे हैं।

(2) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या इसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन अपने को भारत के नागरिक पंजीकृत करा चुके हैं।

(3) ऊपर की श्रेणी (च) के वे गैर-नागरिक जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आ गए और तभी से लगातार उस सेवा में हैं। परन्तु जो व्यक्ति सेवा भंग करके 26 जनवरी, 1950 के बाद उस सेवा में फिर आया हो अथवा फिर आए, उसे औरों की भांति पात्रता प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा।

इसके अतिरिक्त एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग), (घ) तथा (ङ) के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-VI में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, इस शर्त पर परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है तथा अनन्तिम रूप से उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है, कि उसे सरकार आवश्यक प्रमाण-पत्र दे दे।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य न हो, या संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन तथा दीव का निवासी न हो, या केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन करके न आया हो, वह प्रतियोगिता में दो से अधिक बार नहीं बैठ सकता, किन्तु यह प्रतिबन्ध सन् 1961 में हुई परीक्षा से लागू होगा।

टिप्पणी 1. यदि परीक्षा के परिणाम के प्रकाशित होने से पहिले अथवा बाद में किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार परीक्षा में दो बार पहले ही बैठ चुका था और इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं था तो उसका परिणाम, यथास्थिति, रोक लिया जाएगा अथवा रद्द कर दिया जाएगा और नियम 15 के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी 2. यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए, परीक्षा में बैठे, तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जाएगा।

टिप्पणी 3. किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हुआ तब माना जाएगा जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो।

6. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह जरूरी कि 1 जनवरी, 1976 को उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और पूरे 25 वर्ष की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1951 से पहले और 1 जनवरी, 1958 के बाद न हुआ हो।

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम छः महीने की निरन्तर सेवा की हो उनकी सशस्त्र सेना में कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

परन्तु इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगी होने के हकदार होंगे।

टिप्पणी :—उपरोक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आह्वान पर सेवा ("काल अप सरविस") की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी।

(ग) उक्त ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और अधिक छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(2) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद किन्तु 25 मार्च, 1971 से पूर्व प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य हो तथा बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद किन्तु 25 मार्च, 1971 से पूर्व प्रव्रजन कर के भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(4) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित मूल भारतीय व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली

नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य हो तो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित मूल भारतीय व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके पश्चात् श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(6) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(7) यदि उम्मीदवार मूल भारतीय हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक,

(8) यदि उम्मीदवा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित मूल भारतीय व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(9) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित मूल भारतीय व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(10) किसी दूसरे देश से युद्ध के दौरान अथवा उपद्रव-ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरुप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(11) किसी दूसरे देश से युद्ध के दौरान अथवा उपद्रव-ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरुप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों से मामले में जो अनुसूचित जातिया अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य हों, अधिकतम 8 वर्ष तक,

(12) सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के लिए जो भारत पाकिस्तान संघर्ष 1971 के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरुप निर्मुक्त हुए उम्मीदवारों के मामलों में अधिकतम तीन वर्ष,

(13) सीमा सुरक्षा दल के अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य कार्मिकों के लिए जो भारत-पाकिस्तान संघर्ष 1971 के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरुप निर्मुक्त हुए उम्मीदवारों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक ।

(घ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष तक आयु की छूट दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में तथा निर्वाचन आयोग के कार्यालय में लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1 जनवरी, 1976 को जिन्होंने लिपिकों के रूप में काम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और और उसी रूप मे कार्य करती आ रहे हैं ।

परन्तु यह भी शर्त है कि उक्त आय की छूट उन व्यक्तियों को नही दी जाएगी जो मन्त्रालय/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में (1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (2) भारतीय विदेश सेवा (ख), (3) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा और (4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उन व्यक्तियों को जो भूतपूर्व सैनिक हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए परीक्षा में बैठ रहे हैं ।

(ङ) उक्त ऊपरी आयु-सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों मे हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकड़ के पदों पर नियुक्त हैं और 1 जनवरी, 1976 को जिन्होंने हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकणों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं ।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता के पात्र होंगे ।

(च) ऊपरी आयु सीमा में उन सैनिको लिपिकों को 45 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी जो सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में हैं अर्थात् उन को जो सेना से 2 जनवरी, 1976 से 1 जनवरी, 1977 की अवधि में निवृत्त होने वाले हैं ।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवार केवल सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में रिक्त स्थानों के लिए ही, जो भूतपूव सैनिकों के लिए आरक्षत नही हैं, प्रतियोगिता के पात्र होंगे ।

टिप्पणी (1) डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल-डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 6 (घ) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जाएगी ।

टिप्पणी (2) यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम (6) (घ) और नियम (6) (ङ) में उल्लिखित आयु सम्बन्धी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि आवेदन पत्र देने के बाद, परीक्षा मे बैठने से पहले या बाद में, वह नौकरी से त्यागपत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त करदी जाएं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है । लेकिन यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छटनी हो जाए तो वह पात्र बना रहेगा ।

टिप्पणी (3) किसी लिपिक को जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स-केडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्ति हो, अन्य सब प्रकार से पात्र होने पर परीक्षा में बैठने दिया जायेगा ।

टिप्पणी (4) ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु-सीमाओं में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी ।

7. यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की हो या उनके पास निम्नलिखित में से एक प्रमाण-पत्र हो:—

(1) भारत के केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मद्रिक परीक्षा;

(2) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में शालान्त (स्कूल लीविंग), माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण-पत्र के दिये जाने के लिये, जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिये मैट्रिक के प्रमाणपत्र के समकक्ष मानती हो, ली गई कोई परीक्षा;

(3) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (सीनियर कैम्ब्रिज);

(4) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरेपीय हाई स्कूल परीक्षा;

(5) दिल्ली पोलीटैक्नीक के तकनीकी हायर सेकेण्डरी स्कल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र;

(6) भारत में किसी मान्यताप्राप्त हायर सेकेण्डरी स्कूल/बहु-उद्देशीय स्कूल द्वारा हायर सेकेंण्डरी पाठ्यक्रम/बहु-उद्देशीय पाठ्यक्रम (जो किसी छात्र को तीन वर्षीय डिग्री कोर्स के लिए पात्र बनाता है) के उपान्तिम वर्ष के अन्त में ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण ;

(7) इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की दसवी कक्षा का प्रमाण-पत्र;

(8) श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडीचेरी के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र;

(9) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा (केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिए);

(10) बंगाल (साइंस) स्कूल सर्टिफिकेट,

(11) नेशनल काउन्सिल आफ एजूकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्) जादवपुर, पश्चिमी बंगाल की फाइनल स्कूल स्टन्डर्ड परीक्षा (प्रारम्भ से) ;

(12) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की 'विनीत' परीक्षा;

(13) पांडिचेरी की नीचे लिखी फ्रेंच परीक्षाएं:—

(1) ब्रीबे एलिमेनटेएर;

(2) ब्रीबे द ए सीमा प्रोमियर द लांग इंडियन;

(3) ब्रीबे दे एतवद दू प्रीमिये सिकल,

(4) ब्रीबे दएंसीम प्रीमीयेर सुपीरिबेर दे लांग इंडियेन, और

(5) ब्रीबे दे लांग इंडियेन (वर्नाक्युलर) ;

(14) गोवा, दमन और दीव की पुर्तगाली परीक्षा 'लाइसियूम' के पांचवे वर्ष में पास;

(15) इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट आफ एजूकेशन,

(16) भारतीय नौसेना का हायर एजुकेशन टैस्ट;

(17) एडवांस क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा;

(18) सीलोन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा ;

(19) ईस्ट बंगाल सकेंडरी एजूकेशन बोर्ड ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र;

(20) बंगला देश स्थित कोमीला-राजशाही/खुलना/जैसोर के बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजुकेशन द्वारा दिया गया सैकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र ;

(21) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा;

(22) एंग्लोवर्नाक्यूलर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (बर्मा);

(23) बर्मा हाई स्कूल फाईनल एग्जामिनेशन प्रमाण-पत्र (विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए प्रमाण पात्रता सहित);

(25) शिक्षा विभाग बर्मा की एंग्लोवर्नाक्यूलर हाई स्कूल परीक्षा (युद्ध पूर्व) ;

(25) बर्मा आ पोस्टवार स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट;

(26) सामान्य स्तर पर श्रीलका की जनरल सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन परीक्षा यदि वह पांच विषयों में पास की गई हो ;

(27) सामान्य स्तर पर लंदन के एसोसिएटेड एग्जामिनेशन बोर्ड स की जनरल सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो ;

(28) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर-/सैकेण्डरी तकनीकी स्कूल परीक्षा ,

(29) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) या पुरान खंड मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का पाठ्यक्रम) तथा अतिरिक्त विषयों में , जिनमें एक विषय अंग्रेजी हों, विशिष्ट परीक्षा;

(30) गोवा, दमन तथा दीव की स्वतन्त्रता से पूर्व पुर्तगाली शासन के अधीन इस्कोला इन्डस्ट्रीयल, कार्माशियल दी गोवा, पणजी द्वारा दिये गये लुहार पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र तथा बिजली-मिस्तरी पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र ;

(31) राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कालेज डिप्लोमा परीक्षा;

(32) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित "मध्यमा" परीक्षा ;

(33) कारपोरल के पद पर पदोन्नति के लिए शिक्षा निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा ली जाने वाली भारतीय वायुसेना शैक्षिक परीक्षा;

(34) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1965 में ली गई विज्ञान की अर्हक परीक्षा ;

(35) शिक्षा मंत्रालय, मलेशिया के सहयोग से कैम्ब्रिज स्थानीय परीक्षा सिंडीकेट विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मलेशिया सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन परीक्षा;

(36) पंजाब विश्वविद्यालय की उच्चतर माध्यमिक (कोर विषय) परीक्षा;

(37) बाल प्रशिक्षण संस्थान, विशाखापत्तनम द्वारा संचालित (भारतीय नौसेना) परीक्षा पास करना;

(38) आंगल-भारतीय विद्यालय, मद्रास के निरीक्षक द्वारा जारी किया गया आंगल -भारतीय हाई स्कूल परीक्षा (स्टैंडर्ड XI) का प्रमाण-पत्र;

(39) भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा-परिषद द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा X परीक्षा) का भारतीय प्रमाण-पत्र, बशर्ते कि यह परीक्षा पांच विषय लेकर पास की गई हो जिसमें गणित, विज्ञान और कम से कम दो भाषाएं सम्मिलित हों । पांचवां विषय ग्रुप I के शेष विषयों (भारतीय इतिहास एंव संस्कृति नागरिक शास्त्र तथा भूगोल) अथवा ग्रुप II के विषयों (कला, तकनीकी ड्राईंग के साथ लकड़ी का कार्य अथवा धातु-कार्य, प्रारम्भक गृहविज्ञान, प्रारम्भिक लेखा-जोखा और कार्यालय पद्धति के साथ आशु-लिपि तथा टंकण) में से कोई सा हो सकता है; और

(40) तनजानिया सरकार की परीक्षा परिषद द्वारा संचालित राष्ट्रीय फार्म 4 परीक्षा ;

(41) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा ली गई जामिया उच्चतर माध्यमिक परीक्षा ;

(42) ऐस्कोला प्रोफेशनल डी डान बास्को, वाल्पोई (गोवा) द्वारा दिए गए कर्सो गिनक्वैनल डी मेकैनिकों में पास हों ;

(43) भारत के किसी उच्चतर माध्यमिक और बहुदेशीय विद्यालय से उपानितम वर्ष की परीक्षा पास की हो; और

(44) कामेश्वर सिंह दरभंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा का नवीन उत्तर मध्यमा (अंग्रेजी के साथ) ।

टिप्पणी कुछ विशिष्ट मामलों में , जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं हैं केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता -प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है ।

8. (1) जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, जिसका / जिसकी/पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह में दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकार्य है तथा ऐसा करने के अन्य कारण हैं और जब तक उसको इस नियम से छूट न दे दे ।

(2) जिस व्यक्ति ने विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया है, वह भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-6 की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

(3) जिस व्यक्ति के तीन से अधिक बच्चे हैं वह भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

9. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत से पहले से सरकारी सेवा कर रहा हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग के अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए ।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की सम्भावना होगी ।

टिप्पणी—अशक्त भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबीलाइजेशन मेडकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

12. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक उसके पास संस्थान का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

13. सशस्त्र सेना से निवृत भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें संस्थान के नोटिस के पैरा 8(IV) के अन्तर्गत शुल्क की छूट दी गई है, को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को संस्थान के नोटिस के पैरा 8(1) में विहित शुल्क देना होगा।

14. यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का यत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जा सकता है।

15. यदि किसी उम्मीदवार को संस्थान द्वारा निम्नलिखित बातों के लिये दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा संस्थान को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) संस्थान द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये

(i) संस्थान द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

16. परीक्षा के पश्चात् टंकण परीक्षा में पास होने वालों को अन्तिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार की लिखित परीक्षा में दिए गए कुल अंकों के आधार पर संस्थान उम्मीदवारों की गुणानुक्रम में सूची बनाएगा और उसी क्रम से परीक्षा परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिए निश्चित आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार जितने उम्मीदवारों को परीक्षा के द्वारा अर्हता प्राप्त समझेगा, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा।

लेकिन यह भी शर्त है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान निर्धारित सामान्य स्तर में रिआयत देकर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर, परीक्षा में उनके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

आगे यह भी शर्त है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान सामान्य स्तर में रिआयत देकर भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर, परीक्षा में उनके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

17. परीक्षा-परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करते समय किसी उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए (आवेदन पत्र के कालम 14 में) बताई गई प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

18. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय संस्थान अपने विवेकानुसार करेगा और संस्थान परीक्षा-फल के संबंध में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

19. आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकारी नहीं मिल जाता।

20. जिन सेवाओं/पदों के लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है, उनसे संबंधित सेवा की शर्तें संक्षेप में परिशिष्ट 2 में दी गई हैं।

के० बी० नायर,
अवर सचिव

परिशिष्ट 1

1. परीक्षा निम्न योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1—लिखित परीक्षा:—लिखित परीक्षा क विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

पत्र संख्या	विषय	पूर्णांक		दिया गया समय
1.	सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबन्ध			
	(क) लघु निबन्ध	100	200	3 घन्टे
	(ख) सामान्य अंग्रेजी	100		
2.	भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान	100		2 घन्टे

भाग 2—टंकण परीक्षा : संस्थान के विवेकानुसार लिखित परीक्षा में निर्धारित कम से कम स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही टंकण परीक्षा के पात्र होंगे ।

टंकण परीक्षा के निम्न दो प्रश्न पत्र होंगे :—

पत्र संख्या	विषय	दिया गया समय
1.	लगातार टाइप करने की सामग्री (रनिंग मैटर)	10 मिनट
2.	सारणीबद्ध विवरण (टेबुलर स्टटमट)	10 मिनट

परीक्षा के नियमों के नियम 16 के अनुसार केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए सिफारिश के पात्र होंगे जो अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में कम से कम 26 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करेंगे ।

टिप्पणी (i) : जिन उम्मीदवारों ने संघ लोक सेवा आयोग अथवा सचिवालय प्रशिक्षण शाला या सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रतिमिनट की गति से पहिले ही पास कर ली हो उन्हें इस परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को पास की गई टंकण परीक्षा में अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा की तारीख बतानी चाहिए ।

टिप्पणी (ii) :परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र के साथ जो उम्मीदवार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, अर्थात् सिविल सर्जन, से लेकर "उम्मीदवारों को अनुदेश" के पैरा 9(ख) में निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि शारीरिक अक्षमता के कारण वह सेवा के लिए टंकण परीक्षा पास करने के स्थाई रूप से अयोग्य है, तो केन्द्रीय सरकार के मंत्रीमंडल सचिवालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पूर्व अनुमोदन से उसे इस परीक्षा के देने और पास करने से छूट मिल सकती है ।

टिप्पणी (iii) उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा के लिए अपनी टाईप मशीन लानी होगी । स्टेन्डर्ड साईज के रोलर वाली टाईप मशीन परीक्षा के दोनों ही प्रश्न पत्रों में काम दे सकेगी ।

2. परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में बताया गया है ।

3. उम्मीदवारों को छूट होगी कि वे प्रश्नपत्र 1 की मद (क) या प्रश्न पत्र 2 या दोनों के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि में) किसी में दें ।

प्रश्न पत्र 1 के मद (ख) के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिए ।

उम्मीदवारों को छूट होगी कि वे टंकण परीक्षा हिन्दी (देवलिपि नागरी) में अथवा अंग्रेजी में ।

टिप्पनी 1: प्रश्न पत्र 2 में छूट पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगी, इस प्रश्न पत्र के अलग-अलग प्रश्नों के लिए नही ।

टिप्पणी 2 : उपर्युक्त लिखित परीक्षा/टंकण परीक्षा के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन पत्र के कालम 8 तथा 9 में स्पष्टत: लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि प्रश्नपत्रों का उत्तर/टंकण परीक्षा अंग्रेजी में देंगे ।

टिप्पणी 3 : एक बार चुना हुआ विकल्प अन्तिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध साधारणत: स्वीकार नहीं होगा ।

टिप्पणी 4 : उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के सिवाय किसी अन्य भाषा में उत्तर देने अथवा टंकण परीक्षा देने पर कोई अंक नहीं दिए जायेंगे ।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमिति नहीं दी जाएगी ।

5. संस्थान अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है ।

6. केवल छिछले ज्ञान के लिए कोई अंक नही दिए जायेंगे ।

7. अस्पष्ट लिखावट के लिए पूर्णांकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जायेंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से ठीक ठीक की गई अभिव्यक्ति के लिये अंक दिये जाएंगे ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम

सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबन्ध

(क) लघु निबन्ध—उल्लिखित कई विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा ।

(ख) सामान्य अंग्रेजी—निम्नलिखित में उम्मीदवारों की परीक्षा ली जायेगी :—

(1) मसौदा लेखन,

(2) सार लेखन,

(3) व्यावहारिक व्याकरण, तथा

(4) प्रारम्भिक सारणीकरण (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी के रूप में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की सामर्थ्य जांचने के लिए) ।

भारत के भूगोल समेत सामान्य ज्ञान

सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से, जिसने कि किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो, आशा की जा सकती है । इस पत्र में भारत के भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे ।

परिशिष्ट II

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है ।

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा ।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं

(1) उच्च श्रेणी ग्रेड रु० 330–10–380–द० रो०–12–500–द० रो०–15–560 ।

(2) अवर श्रेणी ग्रेड रु० 260–6–290–द० रो०–6–326–8–366–द० रो०–8–390–10–400 ।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि के दौरान वे सरकार द्वारा यथा-निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विभागीय परीक्षाएं पास करेंगे । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर या परीक्षाएं पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी से हटाया जा सकता है ।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार परिवीक्षाधीन लिपिक की पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि जितनी बढ़ाना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

4. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्तियों की केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जायेगा । उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग ले रहे हो

5. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे । स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किए गए अस्थाई अवर श्रेणी लिपिक, जो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में यथानिर्दिष्ट निर्णायक तारीख को 5 वर्ष की अनुमोदित या निरन्तर सेवा अवधि पूरी कर चुकेंगे, वे उच्च श्रेणी लिपिक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा म बैठने के पात्र होंगे ।

6. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किये गये व्यक्ति इस संबंध में सरकारद्वारा निर्धारित तारीख को कम से कम तीन वर्ष अनुमोदित तथा निरतर सेवा करने के बाद ग्रेड III के आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्णायक तारीख को 45 वर्ष होनी चाहिए ।

7. जिन लोगों की नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जायेगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड के सचिवालय लिपिक सेवा योजना म शामिल किसी पद पर स्थानातरण या नियुक्ति की मांग नहीं कर सकगे ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय म नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों की सेवा की शर्तें जैसे नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, आदि रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1970 से जो समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सचिवालय/लिपिक सेवा नियम 1962, के आधार पर बने हैं, संचालित होती है ।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं :—

(i) उच्च श्रेणी लिपिक—रु० 330–10–380–द० रो० 12–500–द० रो०–15–560 ।

(ii) अवर श्रेणी लिपिक– रु० 260–6–290–द० रो०–6–326–8–366–द० रो०–8–390–10–400 ।

3. सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में ही की जाती हैं । अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति दो साल के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे । और इस अवधि में उन्हें वैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और वैसी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखलाने पर अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।

4. उच्च श्रेणी लिपिकों के पद निम्नलिखित कर्मचारियों म से बराबर सख्या में पदोन्नति नियुक्ति द्वार भरे जायेंगे :—

(क) अयोग्यों को छोड़ते हुये वरीयता के अनुसार अवर श्रेणी ग्रेड के स्थायी कर्मचारियों जिनकी मान्य सेवा आठ साल से कम की न हो ।

(ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, जो समय समय पर इसी उद्देश्य से ली जाती है, के परिणाम के आधार पर चुने गए वरीयता के अनुसार अवर श्रेणी ग्रेड के लिपिक।

जब तक कि (ख) में उल्लिखित प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाता है, उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड की सभी रिक्तियां उपर्युक्त (क) के आधार पर भरी जाएंगी।

5. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड के सदस्य, जिनकी मान्य व निरन्तर सेवा की अवधि सरकार द्वारा घोषित निश्चित तिथि पर तीन साल से कम न हो, आशुलिपिक ग्रेड III सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। इस परीक्षा में बैठने की उच्च आयु सीमा निश्चित तिथि पर 45 वर्ष है।

6. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक सीमित है और उसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नही हो सकते हैं।

7. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्य जो इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए हैं :—

(1) पेंशन के लाभों के हकदार होंगे, और

(2) जब वे नौकरी में नियुक्त हुए हों, उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू गैर अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अधीन उस निधि में अंशदान करेंगे।

8. रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों की भांति ही बराबर मात्रा में प्रिविलेज पासों और प्रिविलेज टिकट आर्डरों के हकदार होंगे।

9. जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल कर्मचारियों को उसी प्रकार की सुविधायें हैं जैसी कि अन्य रेल कर्मचारियों को, किन्तु चिकित्सा सुविधायें उन्हें दूसरे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली है, के समान हैं।

(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख) गेड VI

वेतनमान : रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०—8—390—10—400।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-(VI) में नियुक्त अधिकारी विदेशों में नियुक्त किए जाने पर उन भत्तों और मुफ्त आवास के पात्र होंगे, जो समय-समय पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के उस ग्रेड में अधिकारियों के लिए स्वीकार्य होते हैं।

3. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त उम्मीदवारों को, मुख्यालय में अथवा भारत या विदेश में कहीं भी जहां वे नियन्त्रक अधिकारी द्वारा लगाएं जाएं सेवा करनी होगी।

4. इस सेवा में नियुक्ति, पुष्टीकरण तथा वरिष्ठता की शर्त भारतीय विदेश सेवा (ख) भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता तथा पदोन्नति नियम 1964 के संगत उपबन्धों तथा बाद में सरकार द्वारा बनाये गए नियमों और आदेशों के अधीन होंगी।

(घ) सशस्त्र सना मुख्यालय लिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में निम्नलिखित ग्रेड हैं—

उच्च श्रेणी ग्रेड—रु० 330—10—380—द० रो०—12—500 द० रो०—15—560।

अवर श्रेणी ग्रेड—रु० 260—6—290—द० रो०—6—326—8—366—द० रो०—8—390—10—400।

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पद अवर श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी ग्रेड में ही की जाती है।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। यह अवधि सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि में असंतोषजनक सेवा रिकार्ड के परिणामस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से हटाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि में उन्हें समय-समय पर यथाविहित प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है तथा परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है।

3. अवर श्रेणी लिपिक समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार पुष्टिकरण तथा पदोन्नति के पात्र होंगे।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय में भर्ती किए गए अवर श्रेणी लिपिक आमतौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों के किसी कार्यालय में नियुक्त किए जाएंगे। किन्तु लोक हित में भारत में कहीं भी उनकी बदली की जा सकती है है।

5. छुट्टी चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर-सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(ङ) संसदीय मामलों का विभाग

इस विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का वेतनमान रु० 260—6—290—द०रो०—6—326—8—366—द० रो०—8—390—10—400 है।

प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुनाव करके सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रखा जाएगा।

(च) भारत तिब्बत सीमा पुलिस

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में निम्न श्रेणी लिपिक का वेतनमान रुपये 260—6—290—द० रो०—6—326—8—366—द० रो०—8—390—10—400 है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर पदों पर नियुक्त उम्मीदवार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन होंगे।

(छ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग :

(i) आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद का वेतनमान 260—6—290—द० रो०—6—326—8—366—द० रो०—8—390—10—400 रु० है।

(2) केन्द्रीय सतर्कता आयोग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पद के० स० लि० से० में शामिल नही हैं ।

(3) नियुक्त किए गए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन होगें ।

(4) 3 वर्ष की सेवा पूरी करनें के बाद व उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होगें ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 25 अक्तूबर 1975

संकल्प

सं० एफ० 1/46/69-एस० एस० डी० (डब्ल्यू०)—समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या एफ० 1-46/69-एस० एस० डी० (डब्ल्यू०) दिनांक 28 जुलाई, 1975 जिसके द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) अर्थात् उसके अध्यक्ष, सामान्य समिति के सदस्यों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 30 सितम्बर, 1975 तक जिसमें वह तारीख भी शामिल है, बढ़ाया गया था, के अनुक्रम में भारत सरकार ने उक्त बोर्ड का कार्यकाल 1 अक्तूबर, 1975 से 6 महीने की अवधि के लिये जिसमें 31 मार्च, 1976 भी शामिल है । कम्पनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत बढ़ा दिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेशित की जाये ।

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य ।
2. सब राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र ।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
5. मंत्री मण्डल सचिवालय ।
6. योजना आयोग ।
7. लोक सभा/राज्य सभा/प्रधान मंत्री का सचिवालय ।
8. पत्र सूचना कार्यालय ।
9. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व नई दिल्ली ।
10. कम्पनी कार्य विभाग ।
11. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कानून बोर्ड, कानपुर ।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
14. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

टि० सु० ना० स्वामी, अवर सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर 1975

संकल्प

भारत सरकार राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग की समस्याओं और सम्भावनाओं के प्रति व्यापक राष्ट्रीय चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर विचार करती रही है । यह भी अपेक्षाकी गई है कि एक ऐसी पद्धति विकसित की जाए जिससे हर दृष्टिकोण से कोयला उद्योग की कार्यप्रणाली म सुधार के लिए नवीन विचार प्राप्त होते रहें । इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह तय किया गया है कि एक व्यापक समिति का गठन किया जाए जिसमें विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हों जिसकी समय समय पर बैठकें हों जिसमे कोयले के उत्पादन, ढुलाई और खपत संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श हो तथा जो सरकार को सुझाव दे जिनके अनुसार विभिन्न समस्याओं को हल किया जा सके ।

2. तदनुसार भारत सरकार ने कोयला सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगें :—

अध्यक्ष

ऊर्जा मंत्री

उपाध्यक्ष

उप मंत्री, ऊर्जा मंत्रालय

सदस्य

1. दो संसद सदस्य, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए ।
2. सचिव, कोयला विभाग ऊर्जा मंत्रालय ।
3. विद्युत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
4. इस्पात विभाग, इस्पात और खान मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
5. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।
6. विज्ञान और प्रायोगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि ।
7. रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
8. तकनीकी विकास महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि ।
9. उर्वरक और रसायन विभाग, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
10. कोयला नियंत्रक ।
11. खनन सुरक्षा महानिदेशक ।
12. सदस्य (थर्मल), केन्द्रीय विद्युत अधिकरण ।
13. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का एक प्रतिनिधि ।
14. टाटा आइरन और स्टील कम्पनी लि०का एक प्रतिनिधि ।
15. भारतीय सीमट मन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि ।
16. इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री फैडरेशन का एक प्रतिनिधि ।
17. भारतीय कोयला उपभोक्ता संघ का एक प्रतिनिधि ।
18. भारतीय लघु उद्योग फेडरेशन का एक प्रतिनिधि ।
19. एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधि ।

20. आल इंडिया क्रिक एण्ड टाइल मैन्यु, एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि ।
21. अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड
22. प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि०
23. प्रबंध निदेशक, सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लि०
24. अध्यक्ष, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ।
25. प्रबंधक निदेशक, केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान ।
26. प्रबंध निदेशक, (पूर्वी प्रभाग), कोल इण्डिया लि०
27. प्रबंध निदेशक, (पश्चिमी प्रभाग) कोल इण्डिया लि०
28. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ।
29. निदेशक, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ।
30. निदेशक, केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र ।
31. निदेशक, भारतीय खान स्कूल ।
32. निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ।
33. महानिदेशक, भारतीय भू-सर्वेक्षण ।
34. प्रबंध निदेशक, खनिज समन्वेषण निगम लि०
35. भारतीय खनन, भूवैज्ञानिक तथा धातुकर्म संस्थान का एक प्रतिनिधि ।
36. पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिनिधि ।
37. बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि ।
38. असम सरकार का एक प्रतिनिधि ।
39. मेघालय सरकार का एक प्रतिनिधि ।
40. मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि ।
41. आंध्र प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि ।
42. उड़ीसा सरकार का एक प्रतिनिधि ।
43. महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि ।
44. उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि ।
45. गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि ।
46. तमिलनाडु सरकार का एक प्रतिनिधि ।
47. दिल्ली प्रशासन का एक प्रतिनिधि ।
48. कोयला उद्योग कामगारों के दो प्रतिनिधि, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए ।
49. श्री रणछोड़ प्रसाद, रिटायर्ड अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, पटना ।
50 श्री आर० लाल, प्रबंध निदेशक, अंदेस्यूल एण्ड कम्पनी, कलकत्ता ।
51. निदेशक, कोयला विभाग, ऊर्जा मंत्रालय—सदस्य सचिव

कार्यकाल

3. इस समिति का कार्यकाल 1-11-75 से 2 वर्ष के लिए होगा । इस समिति की समय-समय पर बैठकें हो सकती है किन्तु वर्ष एक में बैठक अवश्य होनी चाहिए ।

कार्य

4. कोयला सलाहकार परिषद् का काम सरकार को सामान्यत: कोयला संबंधी सभी आम विषयों और विशेषतया देश के कोयला श्रोतों के उत्पादन परिवहन, वितरण और उपयोग की योजना संबंधी समस्याओं पर सलाह देना है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबधित व्यक्तियों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य निर्माण तथा विविध, नई दिल्ली को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

एस० के० बोस, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 10th November 1975

No. 110-Pres/75.—In pursuance of the provisions of sub-para (ii) of clause Fourthly of this Secretariat Notification No. 4-Pres./73, dated the 17th January, 1973, instituting the award of the 25th Independence Anniversary Medal, the President is pleased to decide that the Medal shall also be awarded to the uniformed personnel of the following Forces/ Organisations :—

(1) Fire Services
(2) Jail Staff
(3) Personnel of the Central Industrial Security Force.
(4) Technical Staff of the Intelligence Bureau.
(5) Calcutta Special Police Force.
(6) Directorate General, Security—SSB, ARC, SSF.

No. 111-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Indo-Tibetan Border Police.—

Names and rank of the officers

Shri Shashi Dharan Pillai.
Head Constable No. 60102022.
Indo-Tibetan Border Police.

Shri Khazan Singh,
Jemadar.
Indo-Tibetan Border Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 19th January, 1975 an earthquake of severe intensity shook a number of places in the snow-bound Kinnaur and Spiti districts of Himachal Pradesh. Shri Shashi Dharan Pillai, Head Constable (Operator) was working as Wireless Operator at Sumdo (Himachal Pradesh) at the time of earthquake when the bunkers of the posts caved in and huge rocks and boulders started rushing down from above. All the wireless sets and accessories were buried under the debris and there seemed no possibility of any communication with the outside world. In utter disregard of his personal safety, Shri Pillai went out in the open in the blinding snowfall while tremors and land-slides were still continuing and after a protracted search retrieved from the debris one wireless set, one battery and some other accessories. He worked under sub-zero temperature for several hours and was able to flash first news of the earthquake at 18.30 hours. He continued working in the open through the night and maintained the communication with the affected areas.

On receipt of the information about the earthquake, a rescue party of the Indo-Tibetan Border Police personnel from Battalion Headquarters at Rekong Peo left for Sumdo at 04.00 hours with rations, medicines and other necessary relief measures. After carrying out relief operations at a number of places, on the way the rescue party reached Sumdo at 15.30 hours on the 21st January, 1975. On their return journey, the Battalion Commandant Lt. Col. P. S. Grewal

slipped while negotiating a landslide and as he was about to fall into the river below, Jem. Khazan Singh showing great presence of mind and at imminent risk to his own life jumped down on a loose boulder, and caught hold of the Commandant's hand, having anchored himself precarlously to a rock. Ultimately the other members of the rescue party succeeded in pulling Lt. Col. Grewal and Jem. Khazan Singh back to safety.

Both Shri Shashi Dharan Pillai and Shri Khazan Singh exhibited conspicuous gallantry, exceptional courage, determination and devotion to duty against extreme odds and at grave risk to their own lives.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st January, 1975.

K. BALACHANDRAN,
Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS)
RULES

New Delhi, the 22nd November, 1975.

No. 11/6/75-CS(II).—The rules for a competitive examination to be held by the Institute of Secretariat Training & Management, Department of Personnel & Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, in 1976 for the purpose of filling temporary vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Indian Foreign Service (B)—Grade VI;

(ii) Railway Board Secretariat Clerical Service—Grade II;

(iii) Central Secretariat Clerical Service—Lower Division Grade;

(iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service—Lower Division Grade;

(v) Posts Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs, New Delhi;

(vi) Posts of Lower Division Clerk in the office of the Special Inspector General, Indo-Tibetan Border Police, Delhi;

(vii) Posts of Lower Division Clerk in the Central Vigilance Commission; and

(viii) Posts of Lower Division Clerk in other Departments and Attached Offices of the Government of India, not mentioned above.

A candidate may apply for admission to the Examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may if he so desires, also be considered for inclusion in the Reserve List for the Central Secretariat Clerical Service. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preference for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing) on or before 31st December, 1976.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Institute. Reservation will be made for candidates who are Ex-Servicemen and for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Ex-Serviceman means a person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of six months and who has been released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

Explanation.—For the purposes of these Rules "Armed Forces of the Union" shall include the Armed Forces of the former Indian States but does not include members of the following Forces namely :—

(a) Assam Rifles;
(b) Lok Sahayak Sena;
(c) General Reserve Engineer Force;
(d) Jammu and Kashmir Militia;
(e) Defence Security Corps; and
(f) Territorial Army.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956 the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes, Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training & Management in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Institute.

4. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Bangladesh, Burma Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948 and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution of India.

(iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution *viz.* 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligiblity in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the government.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination but this restriction is effective from the examination held in 1961.

NOTE 1.—If it is found at any time before or after the publication of the results of the examination that the candidate had already appeared in the examination twice and was thus ineligible to sit in the examination, his result will be withheld or cancelled, as the case may be, and further action taken as per rule 15.

NOTE 2.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have completed at the examination once, for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of Services/posts.

NOTE 3.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years of 1st January 1976 *i.e.* he must have been born not earlier than 2nd January 1951 and not later than 1st January, 1958.

(b) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-Servicemen who have put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union, to the extent of their total service in the Armed Forces increased by three years.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for the vacancies reserved for ex-Servicemen only.

NOTE.—The period of "call up service" of an Ex-Serviceman in the Armed Force shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of rule 6(b) above.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India in or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bond fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Schedule Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and

(xiii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(d) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Clerks in the various Department/Offices of the Government of India and in the Office of the Flection Commission, and have rendered not less than 3 years' continuous service as Clerks on 1-1-1976 and who continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be admissible to persons appointed as Clerks in the Ministries/Departments and Attached Offices participating in (i) Central Secretariat Clerical Service, (ii) Indian Foreign Service (B), (iii) Railway Board Secretarat Clerical Service, and (iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service and to persons who are ex-Servicemen competing at the examination for vacancies reserved for ex-Servicemen.

(e) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been employed as Hindi Clerks/Hindi Typists in the various Ministries/Departments and Attached Offices participating in the Central Secretariat Central Service, and have rendered not less than 3 years continuous Service as Hindi Clerks/Hindi Typists on 1-1-1976 and who continue to be so employed.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession shall be eligible to compete for vacancies in the Central Secretariat Clerical Service only.

(f) The upper age limit will be relaxable upto 45 years in respect of Service Clerks in the last year of their colour service in the Armed Forces, *i.e.* those who are due for release from the Army during the period from 2nd January, 1976 to 1st January, 1977.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete only for vacancies in Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organizations, which are not reserved for ex-Servicemen.

NOTE 1.—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in subordinate offices of P. & T. Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerk for purpose of Rule 6(d) above.

Note 2.—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(d) and Rule 6(e) above, is liable to be cancelled, if after

submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his Department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

Note 3.—A Clerk who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

7. Candidates must have passed one of the following examinations or possess one of the following certificates —

(i) Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) An examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate, which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation Certificate for entry into service;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the State Governments;

(v) Tenth Class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic;

(vi) Pass in the examination held by a recognised Higher Secondary/Multipurpose School in India, at the end of the penultimate year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 years degree course);

(vii) Tenth Class Certificate from a recognised School preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(viii) Tenth Class Certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry;

(ix) Junior examination of the Jamia Millia Islamia, Delhi in the case of bona fide resident students of the Jamia only;

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (Since inception);

(xii) 'Vinit' examination of the Gujarat Vidyapith, Ahmedabad;

(xiii) The following French Examinations of Pondicherry:

(i) 'Brevet Elementaire', (ii) 'Brevet d' Enseignement Primaire de Langue Indienne' (iii) 'Brevet D' etudesa du Premier Cycle', (iv) Brevet D' Enseignement Primaire Superieur de Langue Indienne' and (v) 'Brevet de Langue Indienne (Vernacular);

(xiv) Pass in the 5th year of 'Lyceum' a Portuguese qualification in Goa, Daman and Diu;

(xv) Indian Army Special Certificate of Education;

(xvi) Higher Educational Test of the Indian Navy;

(xvii) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xviii) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xix) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xx) Secondary School Certificate granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/Khulna/Jessore in Bangladesh;

(xxi) School Leaving Certificate Examination of the Government of Nepal;

(xxii) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate Burma;

(xxiii) Burma High School Final Examination Certificate with eligibility for University course;

(xxiv) Anglo-Vernacular High School Examination of the Education Department, Burma (Pre-War);

(xxv) Post-War School Leaving Certificate of Burma;

(xxvi) General Certificate of Education Examination of Ceylon at 'Ordinary level' provided it is passed in five subjects,

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Boards, London at 'Ordinary' Level provided it is passed in five subjects including English;

(xxviii) Junior/Secondary Technical School examination conducted by any of the State Boards of Technical Education;

(xxix) Purva Madhyama (with English) or old Khand Madhyama (first two years course) and special examination in additional subjects, with English as one of the subjects of the Varanseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi;

(xxx) Carta de Curso de Formasco de Serralheiro (Certificate in Smithy Course) and Carta de Curso de Montador, Electricista (Certificate in Electrician Course) awarded by the Escola Industrial Commercial de Goa, Panaji, under the Portuguese set-up prior to Liberation of Goa, Daman and Diu;

(xxxi) Rashtriya Indian Military College Diploma Examination;

(xxxii) 'Madhyama' examination conducted by the Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi;

(xxxiii) IAF Educational Test for promotion to the rank of Corporal conducted by the Directorate of Education, Air Headquarters, New Delhi;

(xxxiv) Qualifying Science Examination, 1965, conducted by the Delhi University;

(xxxv) Malaysian Certificate of Education Examination of the University of Cambridge Local Examination Syndicate conducted in collaboration with the Ministry of Education, Mataysia;

(xxxvi) Higher Secondary (Core Subjects) Examination of Punjab University;

(xxxvii) Passing out (Indian Navy) Examination conducted by Boys Training Establishment, Vishakhapatnam;

(xxxviii) Certificate of Anglo-Indian High School Examination (Standard XI) issued by the Inspector of Anglo-Indian School, Madras;

(xxxix) Indian Certificate of Secondary Education Examination (Class X Examination) conducted by the Council for the Indian School Certificate Examination, provided it is passed in five subjects which should include Mathematics, Science and at least two languages. The fifth subject could be any of the remaining subjects in Group I (Indian History & Culture, Civics and Geography) or any of the subjects in Group II (Art, Woodwork or Metal Work with technical Drawing, Elements of Home Science Elements of Accounts and Shorthand and Typewriting with office practice); and

(xl) National Form IV Examination conducted by the Examination Council of the Government of Tanzania.

(xli) Jamia Higher Secondary Examination conducted by Jamia Millia Islamia, Delhi;

(xlii) A pass in the Curso Quinquenel de Mecanico offered by Escola Professional de Don Bosco, Valpoi (Goa);

(xliii) A pass in the Penultimate year Examination from a Higher Secondary and Multipurpose School in India; and

(xliv) Navin Uttar Madhyama (with English) of Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Darbhanga.

NOTE.—In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications the standard of which in the opinion of that government justifies his admission to the examination.

8. (i) No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(ii) A person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

(iii) A person with more than three children will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

9. A candidate already in Government service, whether in a permanent or temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate, who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE—In the case of the disabled ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

11. The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Institute.

13. Candidates except Ex-Servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee *vide* para 8(iv) of the Institute's Notice, must pay the fee prescribed in para 8(i) of the Institute's Notice.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Institute to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature, for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Institute from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Institute, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. After the examination, the candidates who qualify at the typewriting test or are exempted therefrom will be arranged by the Institute in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate at the written examination; and in that order so many candidates as are found by the Institute to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute of Secretariat Training and Management by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute of Secretariat Training & Management by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen subject to the fitness of these candidates for selection to the Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

17. Due consideration will be given at the time making appointments on the results of the examination to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts at the time of his application (*cf.* Col. 14 of the application form).

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Institute in its discretion, and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

20. Conditions of service relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination are briefly stated in Appendix II.

K. B. NAIR
Under Secretary

APPENDIX I

1. The examination will be conducted according to the following scheme :—

PART I

Written examination.—The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maximum marks		Time allowed
I.	General English & Short Essay			
	(a) Short Essay	100	200	3 hours
	(b) General English	100		
II.	General Knowledge including Geography of India	100		2 hours

PART II

Typewriting Test.—Only those candidates who attain, at written examination, a minimum standard as may be fixed by the Institute in their discretion, will be eligible to take the Typewriting Test.

The Typewriting Test will consist of the following two papers :—

Paper No.	Subject	Time allowed
1.	Running Matter	10 minutes
2.	Tabular Statement	10 minutes

Only such candidates as qualify at the Typewriting Test at a speed of not less than 30 w.p.m. in English or not less than 25 w.p.m. in Hindi will be eligible for being recommended for appointment in terms of rule 16 of the Rules for the examination.

Note I—Candidates who have already passed one of the periodical Typewriting Tests in English or Hindi held by the Union Public Service Commission or the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training and Management at a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi need not appear at the Typewriting Test in this examination. Such candidates must indicate their Roll Number and the date of the Typewriting Test which they have passed.

Note II—A candidate, who furnishes, along with his application for admission to the examination, a certificate prescribed in paragraph 9(b) of the Instructions to candidates from the competent medical authority, i.e. the Civil Surgeon, declaring him to be permanently unfit to pass the typewriting test because of a physical disability, may, with the prior approval of the Central Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat, be exempted from the requirement of appearing and qualifying at such test.

Note III—Candidates will be required to bring their own typewriters for the typewriting test. A typewriter with the standard size roller will do for both the papers of the test.

2. The syllabus for the written examination will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer item (a) of paper I or paper II or both either in Hindi (in Devanagri script) or in English. Item (b) of paper I must be answered in English by all candidates.

Candidates are also allowed the option to take the Typewriting Test either in Hindi (in Devanagri Script) or in English.

Note 1—The option for paper II will be for the complete paper and not for different questions in it.

Note 2—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers of the written examination/take the typewriting Test in Hindi (in Devanagri Script) should indicate their intention to do so clearly in Cols. 8 and 9 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer the papers/take the Typewriting Test in English.

Note 3.—The option once exercised will be final and no request for change of option will ordinarily be entertained.

Note 4.—No credit will be given for answers written or Typewriting Test taken in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

5. The Institute has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the written examination.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

General English and Short Essay

(a) *Short Essay*—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) *General English*—Candidates will be tested in the following :—

(1) Drafting;
(2) Precis writing;
(3) Applied Grammar; and
(4) Elementary tabulation. (To test candidates' ability in the art of compiling, arranging and presenting data in a tabular form).

General Knowledge including Geography of India

Knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on Geography of India.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this Examination.

A. *Central Secretariat Clerical Service*

The Central Secretariat Clerical Service has two grades as follows :

(i) *Upper Division Grade*—Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

(ii) *Lower Division Grade*—Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the clerk on probation or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be posted to one of the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other Ministry or Office, participating in the Central Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination.

6. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to take the Grade III Stenographers' Examination after rendering not less than three years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The upper age limit for this examination is 35 years on the crucial date.

7. Persons recruited to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Clerical Service.

B. *Railway Board Secretariat Clerical Service*

The service conditions of the Lower Division Clerks employed in the Ministry of Railways, so far as recruitment, training, promotion etc., are concerned, are regulated by the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules 1970 which are on the lines of Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 as amended from time to time.

2. The Railway Board Clerical Service consists of the following two grades :—

(i) Upper Division Grade.—Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

(ii) Lower Division Grade.—Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400

3. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only. Persons recruited to Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in their discharge from service.

4. The posts in Upper Division Grade are required to be filled by promotion/appointment in equal proportion from amongst the following staff :

(a) Permanent officers of the Lower Division Grade who have rendered not less than 8 years' approved service in order of seniority in the Grade subject to the rejection of the unfit; and

(b) Members of the Lower Division Grade selected on the results of the Limited Departmental Competitive Examination held for this purpose from time to time in the order of their merit.

Until the results of the first limited competitive examination referred to at (b) above are announced, all the vacancies in the Upper Division Grade will be filled in the manner at (a) above.

5. Members of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service are eligible to appear in the Stenographers' Grade III Limited Departmental Competitive Examination after rendering not less than 3 years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Govt. in this behalf. The Upper age limit for this examination is 35 years on the crucial date.

6. The Railway Board Secretariat Clerical Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Clerical Service.

7. Officers of the Railway Board Secretariat Clerical Service recruited under these rules—

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

8. The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway staff.

9. As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Clerical Service are treated in the same way as other Railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

C. Indian Foreign Service (B)-Grade VI

The scale of pay.—Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

2. Officers appointed to Grade VI of the Indian Foreign Service (B), when posted abroad, will be eligible for such allowances and free furnished accommodation as are admissible to that grade of I.F.S.(B) officers from time to time.

3. Candidates appointed to the Indian Foreign Service (B) on the results of this examination will be liable to serve in any post either at Headquarters, any where in India or abroad to which they may be posted by the Controlling Authority.

4. The conditions or appointment confirmation and seniority in the Service will be governed by the relevant provisions of the I.F.S. (B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964 and also by any other rules or orders, which Government may hereafter make.

D. Armed Forces Headquarters Clerical Service

The Armed Forces Headquarters Clerical Service has two grades as follows :—

Upper Division Grade—Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

Lower Division Grade—Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

The posts in Upper Division Grade are filled by promotion from among Lower Division Clerks. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for two years, which period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During the period of probation they may be required to undergo such training and pass such tests as may be prescribed from time to time.

3. Lower Division Clerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time.

4. Lower Division Clerks recruited to the AFHQ Clerical Service will be generally posted to any office of the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted anywhere within India in the public interest.

5. Leave, medical aid and other conditions of service will be the same as applicable to other Ministerial staff employed in the AFHQ and Inter-Service Organisations.

E. *Department of Parliamentary Affairs*

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerk in the Department is Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

Candidates appointed to the Service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

F. *Indo-Tibetan Border Police*

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerk in the Indo-Tibetan Border Police is Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

Candidates appointed to these post on the results of this examination will be on probation for a period of two years.

G. *Central Vigilance Commission*

(1) The scale of pay for the post of Lower Division Clerk in the Commission is Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.

(2) The posts of Lower Division Clerks in the Central Vigilance Commission are not included in C.S.C.S.

(3) The persons appointed will be on probation for a period of 2 years.

(4) They will be eligible for promotion to the grade of Upper Division Clerk after putting in 3 years service.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE)

New Delhi-110001, the 25th October 1975

RESOLUTION

No. F.1-46/69-SSD(W).—In continuation of the Department of Social Welfare Resolution No. F.1-46/69-SSD(W) dated the 28th July, 1975 extending the term of the office of the Central Social Welfare Board namely, the Chairman, members of the General Body and Members of the Executive Committee of the Central Social Welfare Board (Company) till and including 30th September, 1975, the Government of India have been further pleased to decide that subject to Article 7 of the Articles of Association of the Company, the term of the said Board be extended for a

further period of six months commencing from 1st October, 1975 till and including 31st March, 1976.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. All Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/U.Ts.
3. All the Ministries/Departments of the Govt. of India.
4. President's Sectt.
5. Planning Commission.
6. Lok Sabha/Rajya Sabha/Prime Minister's Sectt.
7. Cabinet Sectt.
8. Press Information Bureau, New Delhi.
9. A.G.C.R. New Delhi.
10. Company Affairs Department.
11. Registrar of Companies, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Secretary, C.S.W.B. New Delhi.
14. All Chairmen, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

T. S. N. SWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF ENERGY

DEPARTMENT OF COAL

New Delhi, the 27th October 1975

RESOLUTION

No. .—The Government of India has been considering the need to generate a greater sense of national involvement in the problems and prospects of the nationalised coal industry. Also, it is desired to devise a mechanism to ensure a smooth flow of fresh ideas to improve the functioning of the industry from all points of view. To chieve these objectives it has been decided to constitute a broad-based committee representing various interests, which should meet from time to time to discuss the problems of coal production, trasportation and consumption and offer suggestions to the Government on the lines on which the various problems could be tackled.

2. Accordingly the Government of India has reconstituted the Coal Advisory Council with the following members :—

Chairman

Minister for Energy.

Vice Chairman

Deputy Minister in the Ministry of Energy.

Members

1. Two Members of Parliament to be nominated by the Chairman.
2. Secretary, Department of Coal in the Ministry of Energy.
3. One representative of the Department of Power in the Ministry of Energy
4. One representative of the Department of Steel in the Ministry of Steel and Mines.
5. One representative of the Planning Commission.
6. One representative of the Department of Science and Technology.
7. One representative of the Railway Board, Ministry of Railways.
8. One representative of Directorate General of Technical Development.
9. One representative of Department of Fertilizers and Chemicals in the Ministry of Petroleum and Chemicals.
10. The Coal Controller.
11. The Director General, Mines Safety.
12. Member (Thermal), Central Electricity Authority.
13. One representative of Steel Authority of India Limited.
14. One representative of Tata Iron and Steel Company Limited.
15. One representative of Cement Manufacturers' Association of India.
16. One representative of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.
17. One representative of Coal Consumers' Association of India.
18. One representative of Federation of Small Scale Industries of India.
19. One representative of Associated Chambers of Commerce and Industry.
20. One representative of All India Brick and Tile Manufacturer's Association.
21. The Chairman, Coal India Limited.
22. The Managing Director, Bharat Cooking Coal Limited.
23. The Managing Director, Singareni Collieries Company Ltd.
24. The Chairman, Neyveli Lignite Corporation.
25. The Managing Director, Central Mine Planning and Design Institute.
26. The Managing Director, (Eastern Division), Coal India Ltd.
27. The Managing Director, (Western Division), Coal India Ltd.
28. The Managing Director, National Coal Development Corporation.
29. The Director, Central Fuel Research Institute.
30. The Director, Central Mining Research Station.
31. The Director, Indian School of Mines.
32. The Director, Regional Research Laboratory, Hyderabad.
33. The Director General, Geological Survey of India.
34. The Managing Director, Mineral Exploration Corporation Ltd.
35. One representative of Mining Geological and Metallurgical Institute of India.

36. One representative of the Government of West Bengal.

37. One representative of the Government of Bihar.

38. One representative of the Government of Assam.

39. One representative of the Government of Meghalaya.

40. One representative of the Government of Madhya Pradesh.

41. One representative of the Government of Andhra Pradesh.

42. One representative of the Government of Orissa.

43. One representative of the Government of Maharashtra.

44. One representative of the Government of Uttar Pradesh.

45. One representative of the Government of Gujarat.

46. One representative of the Government of Tamil Nadu.

47. One representative of the Delhi Administration.

48. Two representatives of the coal industry workers to be nominated by the Chairman.

49. Shri Ranchor Prasad,
Retired Chairman, National Coal Development Corporation, (Patna).

50. Shri R. Lal,
Managing Director, Andrew yule and Co., Calcutta.
Member Secretary

51. The Director,
Department of Coal in the Ministry of Energy.

TENURE

3. The term of the Committee will be for a period of two years from 1-11-75. The Committee may meet periodically but atleast once in a year.

FUNCTIONS

4. The functions of the Coal Advisory Council is to advice the Government in regard to all matters of a general character relating to coal and in particular to problems pertaining to planning for the production, transportation, distribution and utilisation of the coal resources of the country.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned including all the Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, the Planning Commission, Private and Military Secretaries to the President, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. BOSE,
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975